न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 13/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– बूटासिंह पुत्र श्री बलवीरसिंह जाति रायसिख निवासी 85एलएनपी. पुलिस थाना मुकवाला जिला श्रीगंगानगर ।

——— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री ज्ञानसिंह — अभिभाषक अपीलान्ट ।
श्री चतुर्भुज शर्मा — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 16.1.2019**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19.11.18 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.10.18 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी बूटासिंह पुत्र श्री बलवीरसिंह जाति रायसिख निवासी 85एलएनपी. पुलिस थाना मुकवाला जिला श्रीगंगानगर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा बिना लाइसेंसी देशी शराब रखने का आदि है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है, जिस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं जनता की सुरक्षा को खतरा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकशान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द कुल 5 प्रकरण आवकारी अधिनियम के दर्ज हुए हैं, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया एवं सक्षम न्यायालय द्वारा 4 प्रकरणों में गैर सायल को सजायाब फरमाया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है, गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में ।
3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.10.18 को अपीलान्ट के निमित अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 13.11.18 की तारीख पेशी दी गयी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.11.18 को उपस्थित होने के पश्चात जवाब हेतु अवसर चाहा गया तथा अपीलान्ट द्वारा आगामी पेशी दिनांक 19.11.18 को जवाब नोटिस पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य लिये बिना दिनांक 19.11.18 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना लूणकरनसर जिला बीकानेर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय लूणकरनसर में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 19.11.18 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि पुलिस थाना मुकलावा जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द अपीलान्ट के विरुध्द राजस्थान आवकारी अधिनियम के अन्तर्गत 5 मुकदमें रंजिस वश दर्ज किये गये थे, जिनमें प्रार्थी द्वारा लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है तथा प्रार्थी पर जुर्माना लगाया है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो परिवादी के एवम् नां ही अभियोजन पक्ष के बयान हुए हैं । जबकि परिवाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा काई साक्ष्य नहीं है, जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट से किसी व्यक्ति को भय हो व किसी को अपीलान्ट से अपनी सुरक्षा का खतरा हो । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर केन्द्रित होकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–9–2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द आवकारी अधिनियम 1950 की धारा 16/54 के अन्तर्गत पुलिस थाना मुकलावा द्वारा दर्ज किये गये 4 मुकदमों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है । इसके अलावा एक फौजदारी मुकदमा सं0 259/10.12.15 पैंडिंग कोर्ट है। । अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 11.10.18 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अपीलान्ट गांव में अवैध शराब बेचने का आदि है तथा अपराधिक प्रवृत्ति का है । जिससे गरीब परिवार के लोगों को व नौजवान पीढी को नशा की लत पड़ने लगी है । अपीलान्ट आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है । गांव के लोग अपीलान्ट के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान से भयभीत होने के कारण लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 28.5.14 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द आवकारी अधिनियम की धारा 16/54 के अन्तर्गत निम्नलिखित 4 मुकदमे दर्ज होकर बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है तथा एक फौजदारी मुकदमा पेंडिंग कोर्ट है :–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	115/21.9.08	16/54 आवकारी अधिनियम	17.11.12	सजा
2	49/8.5.12	16/54 आवकारी अधिनियम	20.9.13	सजा
3	99/12.7.13	16/54 आवकारी अधिनियम	20.9.13	सजा
4.	148/14.9.15	16/54 आवकारी अधिनियम	12.12.15	सजा
5	259/10..12.15	धारा 364,147,149 आईपीसी	–	पेंडिंग कोर्ट

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

9. क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(iii) अनुसार राजस्थान आवकारी अधिनियम के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुध्द धारा 16/54 आवकारी अधिनियिम के अन्तर्गत कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए तथा चारों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इसके अलावा अपीलान्ट के विरुध्द एक फौजदारी प्रकरण सं0 259/10–12–15 दर्ज हुआ है, जो

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पैंडिंग कोर्ट है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (iii)अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में नकल रपट रोजनामचा आम दिनाक 11.10.18 के अनुसार अपीलान्ट गांव में अवैध शराब का धन्धा करता है, जिससे गरीब परिवार के लोगों को व नौजवान पीढी को नशे की लत पड़ने लगी है । अपीलान्ट आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है । गांव के लोग अपीलान्ट के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान से भयभीत है तथा लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं ।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (iii) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । रपट रोजनामचा आम दिनांक 11.10.18 के अनुसार अपीलार्थी गांव में अवैध शराब का धन्धे में लिप्त है । जिससे गरीब परिवार के लोगों को व नौजवान पीढी को नशा की लत पड़ने लगी है । अपीलान्ट आम लोगों को थान में सूचना देने से धमकाता है । गांव के लोग अपीलान्ट के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान से भयभीत होने के कारण लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला बीकानेर में थानाधिकारी, पुलिस थाना लूणकरनसर जिला बीकानेर को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.18 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

12. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर